


28.11.2016

दोनों पक्षों के अधीनस्थ अधिकारियों  
की एक बैठक का आयोजन आवश्यकता  
है, जो अंतर्गत अधिनियम के  
अनुसार एक बैठक आयोजित की  
जाएगी।


  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा  
(P.O.) बालोतरा

199/2017

सुनम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

संख्या व तारीख  
आह्वान जो इस हकम  
की समील में जारी हुए

वादी परा को काफ़्त करवाते के वामिन  
 केवर उपाय काफ़्त नही करवाते के कारण  
 वादीवला को परा स्तारिक विमा चारों।  
 इनमें उपायपट्ट काधीवलाको को वरुत  
 और परावली या शकलोकू कीजा। (वीनमें  
 पापा को - हस्तगत उपाया वादी काफ़्त  
 में विगत 04 वर्ष के भी काधीवला  
 काफ़्त के विमावर्त चल रहा है।  
 लार्न पंपात्र अकाउंट कि जगत के  
 उपाय की काफ़्त सूची नही करवाए 210  
 है और न ही न्यायालय हाया  
 के काउंटे की पालता को - गड्डे है।  
 इससे उचित होता है - कि वादी उपाया  
 के प्रति जमीर नही है। लिहाजा वादीवला  
 की परा न्यायालय वला के काउंटे  
 को काउंटेपना कि वला के कारण  
 उपाय लार पर स्तारिक विमा।  
 वला है। डिजा - वला वामे से।  
 प्रावली माल सुनाल देना  
 वादीवला वला - के)

  
 सहायक कलक्टर  
 (S.D.O.) बालोतरी

डिक्री-पचा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

194 / 2017

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2017 / 00883

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1.मोतीराम पुत्र दुर्गाराम
  - 2.दौलाराम पुत्र दुर्गाराम
  - 3.वीरमाराम पुत्र दुर्गाराम
  - 4.सांवलाराम पुत्र दुर्गाराम
  - 5.सुजाराम पुत्र दुर्गाराम
  - 6.परागाराम पुत्र हुकमाराम
  - 7.मानाराम पुत्र हुकमाराम जाति कलबी
- निवासी जसोल तहसील पचपदरा

- 1.नरपतसिंह पुत्र जुगतसिंह
- जाति राजपुरोहित
- निवासी मनणावास,हाउसिंग बोर्ड बालोतरा
- 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:-188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:- 194 / 2017

निर्णय दिनांक :-28.1.2026

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित, इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा के आदेश की अनुपालना नही किए जाने के कारण खारिज किया जाता है। यह आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	—	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	2.अर्जी के लिए स्टाम्प	—
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	3.प्लीडर की फीस	—
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	—	4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	—	5.आदेशिका की तामील	—
6.कमिश्नर की फीस	—	6.कमिश्नर की फीस	—
7.आदेशिका की तामील	—		
जोड़	—	जोड़	—

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा